क्रमांक-13

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2011 (फाल्गुन 19, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 103 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया में सिंचाई योजनाओं का लाभ न दिये जाने,
(2) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना की ग्राम पंचायत उदयपुरा की उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण न होने,
(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की प्रदेश की इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के फूटे होने,
(4) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला के नारायणगंज में पुल न होने,
(5) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके, सदस्य की शाहपुर (बैतूल) के ग्राम कण्डी में बजरंगी मंदिर क्षेत्र में पुल निर्माण कराने,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की कोष एवं लेखा परीक्षा के मूल्यांकन में धांधली होने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर के पिछोर थानान्तर्गत दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या की जाने,,
(8) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में पट्टेधारी भूखंडधारियों की रजिस्ट्री न होने,
(9) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले की मऊगंज बधैया पूर्व मा.शाला का उन्नयन किये जाने तथा
(10) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की इंदौर के ग्राम पालिया में विद्युत का अवैध प्रदाय होने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2008-09 पटल पर रखी।

4. श्रीमती आशारानी सिंह, सदस्य को बंदी करके, अभिरक्षा में लेने विषयक सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती आशारानी सिंह, सदस्य को दिनांक 4.3.11 को भोपाल जिले की पुलिस द्वारा बंदी करने एवं अभिरक्षा में लेने विषयक सूचना पढ़कर सुनाई गई।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा खण्डवा में एक प्रोफेसर के साथ विद्यार्थियों द्वारा घटित घटना पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तत्काल चर्चा कराने की मांग की गई। आसंदी द्वारा नियम 54 के प्रावधान के अनुसार स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य न होने के कारण, प्राप्त ध्यानाकर्षण पर विचार करने हेतु आश्वस्त किया गया। विरोधस्वरूप, कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई तथा सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने खण्डवा नगर हेतु पेयजल योजना के कार्य में अनियमितता होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य ने रायसेन जिले के बेगमगंज स्थित बीड़ी श्रमिक कालोनी के मकानों में अवैध कब्जा होने की ओर राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का ध्यान आकर्षित किया।

श्री देव सिंह सैयाम, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने वक्तव्य दिया।

(श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण क्र.(2) में प्रश्न करने की मांग की गई किन्तु आसंदी द्वारा सूचना में उनका नाम न होने के कारण, अनुमति नहीं दी गई। विरोधस्वरूप, उनके द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सेमरखेड़ा से मडिखेड़ा चदोखा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मोगना से लखेपुर टीलापोत होते हुए दरगांव कलां तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम बछोड़ा से विदारी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम विगोड़ा से नदिया तक सड़क निर्माण कराये जाने तथा
(ङ) विगोड़ा-मोहनगढ़ मार्ग, बनगांव से दरगायकलां तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,

(2) श्रीमती रेखा, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) जनपद बक्सवाहा में महाविद्यालय खोले जाने,
(ख) ग्राम तेईयामार से मुख्य मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने,
(ग) बड़ामलेहरा में अनुविभागीय अधिकारी का नियमित कोर्ट प्रारंभ किये जाने तथा
(घ) ग्राम हेसरी पहुंच मार्ग पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने,

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की भोपाल स्थित शुभम विकलांग एवं सेवा समिति को शासनाधीन किये जाने,
संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

7. वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए 14 मार्च, 2011 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

8. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री की, दिनांक 9.3.2011 को प्रस्तुत की गई मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्रीमती साधना स्थापक
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(अपराह्न 1.00 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री पारस सकलेचा
(9) श्री अभय कुमार मिश्रा
(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता
(12) श्री आरिफ अकील
(13) श्री देवेन्द्र वर्मा
(14) कुं. विक्रम सिंह
(15) श्री राकेश शुक्ला
(16) श्री खटीक रमेश प्रसाद
(17) श्री रामलल्लू वैश्य
(18) श्रीमती ललिता यादव
(19) श्री शांतिलाल धबाई
(20) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(21) श्री राजकुमार उरमलिया
(22) श्री परसराम मुद्गल
(23) श्री रामलखन सिंह

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए आठ हजार इक्कीस करोड़, छियानवे लाख, तिहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए एक हजार तीन सौ आठ करोड़, तिरेपन लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए चार सौ छप्पन करोड़, सत्तानवे लाख, उनचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ सत्तर करोड़, बासठ लाख, पन्द्रह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 61	बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए सात सौ अड़तीस करोड़, इकतालीस लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 6	1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 18, 21
मांग संख्या - 7	1, 4, 8, 9, 10, 15
मांग संख्या - 31	1, 2, 4, 6, 7
मांग संख्या - 60	1, 3, 5, 7, 9
मांग संख्या - 61	1, 2, 3

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री सुनील जायसवाल
(5) श्री अजय यादव
(6) श्री रामलखन सिंह
(7) श्री अभय कुमार मिश्रा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री रामनिवास रावत
(9) श्री श्रीकांत दुबे

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए एक सौ इकतालीस करोड़, सत्तानवे लाख, उनतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए एक हजार तीन सौ अट्ठावन करोड़, पचहत्तर लाख, पंद्रह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए चौंतीस करोड़, निन्यानवे लाख, पचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए तीन सौ नवासी करोड़, तिहत्तर लाख, इक्यावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए तीन सौ अट्ठावन करोड़, अट्ठाइस लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 21	1, 6, 7, 9, 10, 15
मांग संख्या - 23	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14
मांग संख्या - 40	1, 3, 4 ,6
मांग संख्या - 45	1, 5, 6, 8, 12, 15,
मांग संख्या - 57	1, 2, 4, 6

अपराह्न 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 (फाल्गुन 20, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 मार्च, 2011